

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02082025-265150 CG-DL-W-02082025-265150

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जुलाई 13—जुलाई 19, 2025, शनिवार/आषाढ़ 22—आषाढ़ 28, 1947 No. 24] NEW DELHI, JULY 13— JULY 19, 2025, SATURDAY/ASHADHA 22—ASHADHA 28, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उनका संबंध सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त में होंगे।

4442 GI/2025 (583)

for successful	Officers of the Central Government,-	
completion of probation as prescribed by the	(a) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; and	
Central Government.	(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)	(13)	
Group 'B' Departmental Confirmation committee (for considering confirmation) consisting of:-	Consultation with Union Public Service	
1. Additional Medical Superintendent, Kalawati Saran Children's Hospital,	Commission is not necessary.	
New Delhi -Chairperson;	incoessary.	
2. Deputy Director (Concerned) in Directorate General of Health Services -Member;		
Deputy Director (Administration) in Lady Hardinge Medical College and Associated Hospitals, New Delhi - Member.		

[F. No. A.12034/113/2019-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सफदरजंग अस्पताल में ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ फीजियोथेरेपिस्ट।	(09)* 2025 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -10 (56100- 177500 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत व्यक्तियो की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धित, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रोन्नति द्वारा।

(11)		किया जाएगा।
	(12)	(13)
स्तर-6(35400-112400 रुपये) में ऐसे फीजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के सुसंगत क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा यथाविहित दो से चार सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1: ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा अविध एसे व्यक्तियों के लिए आठ वर्ष होगी, जो अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पद (फिजियोथेरेपिस्ट) धारण किए हुए है। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इसमें जो भी कम हो, कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सदित जिन्होंने	लोक सेवा आयोग का सदस्य - अध्यक्ष; स्वास्थ्य और परिवार य - सदस्य ; ा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य; सन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा ाालय -सदस्य. रण समिति(पृष्टि पर विचार करने के ा: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण -सदस्य; ा अधीक्षक सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए.11018/30/2024-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय. अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2025

- **G.S.R. 99.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist (Group 'A' post), Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Physiotherapist in the Safdarjung Hospital, New Delhi, in the Ministry of Health and Family welfare, namely:-
- 1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classifications, level in the pay matrix.** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living;

(b)who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and in consultation with Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Physiotherapist	9* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service 'A', Gazetted, Non- Ministerial	Level-10 in the pay matrix (Rs.56100- 177500)	Selection

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees.
			Note: There shall be a mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(10)	(11)
By promotion.	Promotion: Physiotherapist in Safdarjung Hospital in level-6 (Rs.35400-112400) in the pay matrix with ten years of regular service in the grade, and having successfully completed two to four weeks training in the relevant field of duties and responsibilities of the post, as prescribed by the Ministry. Note 1: The eligibility service for promotion to the post of Senior Physiotherapist shall continue to be eight years for person holding the feeder post physiotherapist on regular basis on the date of notification of these rules.
	Note 2: Where junior who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its com	nposition?	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)		(13)
Departmental Promotion Committee (for considering promotion) cons	isting of:	Consultation with Union Public
Chairman or Member of Union Public Service Commission	- Chairman;	Service Commission is necessary.
2. Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare	- Member;	·
3. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	-Member;	
4. Director (Administration and Vigilance), Directorate General		
of Health Services	-Member.	
Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) co	onsisting of:	
1. Joint Secretary, Ministry of Health and family Welfare	- Chairman;	
2. Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital	- Member;	
3. Director (Administration and Vigilance), Directorate General		
of Health Services	- Member.	

[F. No. A.11018/30/2024-MH-II]
ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8जुलाई, 2025

सा.का.नि. 100.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर सहायक, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन और विष्ठ थिएटर तकनीशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 को, जहां तक उनका संबंध ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई हैं या करने से छूट गई हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल,, नई दिल्ली, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2025 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है: या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;